27130
संख्या– /एक–9–2016–111(ले0सं0)/2014

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,उ0प्र0,
लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग–9 लखनऊ: दिनांक 19 दिसम्बर ~~नवम्बर~~,2016

विषय:–प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राजस्व विभाग के समस्त लेखपालों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित कान्फीग्रेशन/स्पेसीफिकेशन के अनुरुप स्मार्टफोन दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–541/1–18–2016/क0सेल/21/2016 दिनांक 28–10–2016 का कृपया सुदर्भ ग्रहण करें ।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु राजस्व विभाग के समस्त लेखपालों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत निर्धारित कान्फीग्रेशन/स्पेसीफिकेशन के अनुरुप स्मार्टफोन दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

3– उक्त योजना हेतु क्रय किये जाने वाले स्मार्टफोन की लागत का 50 प्रतिशत अंश भारत सरकार द्वारा एवं 50 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । स्मार्टफोन का क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरुप राजस्व परिषद द्वारा कृषि विभाग के परामर्श से किया जायेगा ।

4– उक्त योजना हेतु केन्द्रांश व राज्यांश के मद में आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में राजस्व विभाग के सुसंगत अनुदान संख्या व लेखाशीर्षक में बजट व्यवस्था कराने एवं राजस्व विभाग के स्तर से अपेक्षित आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता के आधार पर कराने व कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव ।

कृ0प0उ0 2/–

संख्या 2713 (1)/एक–9–2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ0प्र0 शासन (कृषि अनुभाग–2) ।

2– निदेशक,कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा,उ0प्र0 कृषि भवन,लखनऊ ।

3– वित्त(आय–व्ययक)अनुभाग–1/2

4– वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5

5– राजस्व अनुभाग–6

6– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

संख्या–2713 /एक–9–2016–111(ले0सं0)/2014

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,उ0प्र0,
लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग–9 लखनऊ: दिनांक 19 दिसम्बर,2016

विषय:– राजस्व विभाग के लेखपालों को लैपटाप दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–जी–342/4–39ए/85टी0सी0(111) दिनांक 23–8–2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग के समस्त लेखपालों को उनके द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्य गुणवत्ता परक, समयबद्ध, समुचित व सुचारु रुप से डिजिटल प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स माध्यम से सम्पादित करके सरकारी सेवायें कम समय में आसानी से जनता तक पहुचाने हेतु लैपटाप, डाटा कार्ड सहित दिये जाने एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान सं0–52 के लेखाशीर्षक –2029–भू राजस्व (आयोजनागत)–103–भू अभिलेख–07–लेखपालों को स्मार्टफोन/लैपटाप दिये जाने हेतु–46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रुपये 20,00,00,000/– (रुपये बीस करोड मात्र) आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 में निहित प्राविधानों तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों तथाआई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।
(2) यदि लैपटाप के क्रय के उपरान्त कोई धनराशि अवशेष है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा ।
(3) उक्त धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
(4) वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 22 मार्च 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
(5) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखा जायेगा ।

3– उक्त क्रय किये जाने वाले लैपटाप की विशिष्टियां लेखपालों के कार्य एवं दायित्वों के अनुरुप आई0टी0 एवं इलेट्रानिक्स विभाग के सहयोग से राजस्व परिषद द्वारा निर्धारित की

कृ0प0उ0 2/–

जायेगी और चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु0 20.00 करोड़ की सीमा तक लैपटाप व डाटा कार्ड का क्रय इसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत नियमों/शासनादेश के अनुसार राजस्व परिषद द्वारा किया जायेगा एवं अवशेष लैपटाप व डाटा कार्ड वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर क्रय किये जायेंगे ।

4– उक्त क्रय किये जा रहे लैपटापों का आवंटन सम्बन्धित जिलों में कार्यरत लेखपालों की संख्या के अनुपात में राजस्व परिषद द्वारा किया जायेगा तथा जिलाधिकारियों द्वारा लेखपालों को लैपटाप का आवंटन ज्येष्ठता के अनुसार किया जायेगा ।

5– लेखपालों को लैपटाप दिये जाने पर होने वाला व्यय अनुदान सं0–52 के लेखाशीर्षक –2029–भू राजस्व (आयोजनागत)–103–भू अभिलेख–07–लेखपालों को स्मार्टफोन/लैपटाप दिये जाने हेतु–46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के सुसंगत मानक मद के नामे डाला जायेगा ।

6– कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही करने व लैपटाप एवं डाटा कार्ड क्रय करने तथा उनके आवंटन की एक समय सारिणी तैयार कर एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्रसं0–ई–5–1249 दस/2016 दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव ।

संख्या–2713 (1)/एक–9–2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(प्रथम)उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2– वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
3– वित्त(आय–व्ययक)अनुभाग–1/2
4– वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग– व 2
5– राजस्व अनुभाग–6
6– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।